महोबा पुलिस

दिनांक- 16.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 372/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 16.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 16.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 373/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 5000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में उपनिरीक्षक भूपेन्द्र सिंह मय कां0 सुनील जाटव द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 321/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित 5000 रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त करन कंजर पुत्र स्व0 मूलचन्द्र, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 15.07.2026 को हमीरपुर चुंगी टेम्पो स्टैंड के पास यात्री प्रतीक्षालय से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी धनराशि में 1270/- रुपये नगद बरामद किये गये है। गिरफ्तारी के उपरांत नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा दिया गया है।

ध्यात्व्य रहे कि दिनांक 10/11.07.2026 की रात्रि चेकिंग के दौरान करिया पठवा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड में 03 अभियुक्तों क्रमशः 1.विपिन गेहार (घायल) निवासी जालौन 2.कमल गेहार निवासी जालौन 3.पिंकिल निवासी कानपुर देहात को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण-

करन कंजर पुत्र स्व0 मूलचन्द्र, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2. कां0 सुनील जाटव, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

दिनांक- 16.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 374/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में आज दिनांक 16.07.2026 को उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल मय हमराह का0 गौरव सविता, रि0का0 प्रशान्त कुमार, रि0का0 शीतला प्रसाद, रि0म0का0 अंशिका मिश्रा व रि0म0का0 दीपा द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के आधार पर 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः फूला पत्नी दीना कुशवाहा, उम्र करीब 40 वर्ष 2. दीना कुशवाहा पुत्र छिमाधर, उम्र करीब 45 वर्ष 3. वती पत्नी जगमोहन सिंह, उम्र करीब 68 वर्ष समस्त निवासी मु0 तकियापुरा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को सम्बन्धित एनसीआर संख्या 72/18, वाद संख्या 923/2018 धारा 323/504/506 भा.दं.सं. थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्तगण को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण-

1.फूला पत्नी दीना कुशवाहा, उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 तकियापुरा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

2.दीना कुशवाहा पुत्र छिमाधर, उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मु0 तकियापुरा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

3.वती पत्नी जगमोहन सिंह, उम्र करीब 68 वर्ष निवासी मु0 तकियापुरा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल

2.कां0 गौरव सविता

3.रि0का0 प्रशान्त कुमार

4.रि0का0 शीतला प्रसाद

5.रि0म0का0 अंशिका मिश्रा

6.रि0म0का0 दीपा

दिनांक- 16.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 375/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में थानाध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2026 धारा 64(1) बीएनएस से संबंधित नामजद/वांछित अभियुक्त ब्रजकिशोर उर्फ बृजकिशोर अहिरवार पुत्र हल्काई अहिरवार, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा को आज दिनांक 16.07.2026 को नौगांव-टीकमगढ़ रोड स्थित नाला पुलिया के पास ग्राम खमा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

ब्रजकिशोर उर्फ बृजकिशोर अहिरवार पुत्र हल्काई अहिरवार, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा

अपराध विवरण-

मु0अ0सं0 126/2026 धारा 64(1) बीएनएस थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष सुभाषचन्द्र, थाना अजनर जनपद महोबा

कां0 राहुल अग्निहोत्री, थाना अजनर जनपद महोबा

कां0 नरेन्द्र कुमार, थाना अजनर जनपद महोबा

रि0म0का0 एंजल सरोज, थाना अजनर जनपद महोबा

दिनांक- 16.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 377/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना खन्ना

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना खन्ना के विवेचकों का अर्दली रूम, विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा कर दिए गए सख्त दिशा-निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा आज दिनांक 16.07.2026 को थाना खन्ना में नियुक्त समस्त विवेचकों के साथ अर्दली रूम आयोजित किया गया। अर्दली रूम के दौरान थाना स्तर पर लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा की गई तथा उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर लंबित विवेचनाएं, एनसीआर, शिकायती प्रार्थना पत्र, आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा, पंचायतनामा जांच, गुमशुदा जांच एवं अपहृता बरामदगी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, न्यायालय से निर्गत एनबीडब्ल्यू (NBW) की तामील, ई-समन, यक्ष ऐप, ई-साक्ष्य एवं एनसीआरपी पोर्टल से संबंधित प्रकरणों की प्रगति का विस्तार से परीक्षण किया गया। साथ ही प्रचलित अभियानों की समीक्षा भी की गई।

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विवेचक अपने-अपने प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्रवाई, गुमशुदा/अपहृता की त्वरित बरामदगी एवं जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही न्यायालय से निर्गत वारंटों/एनबीडब्ल्यू की शत-प्रतिशत तामील एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही प्रभावी ढंग से किए जाने पर विशेष बल दिया गया।

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि थाना स्तर पर सभी पुलिसकर्मी जनसामान्य के साथ संवेदनशील एवं सकारात्मक व्यवहार अपनाएं तथा शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करें।

तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना क्षेत्र में पैदल गस्त (फुट पेट्रोलिंग) कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया।

जय हिन्द सर,
सादर अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.2026 समय लगभग 22:30 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत समदनगर में दो पक्षों के मध्य आपसी पुराने विवाद को लेकर आपस में मारपीट करते हुये एक पक्ष द्वारा कुल्हाड़ी से वार किया गया जिसमें विक्की ठाकुर पुत्र राजाबाबू सिंह निवासी समद नगर थाना कोतवाली नगर महोबा गम्भीर रुप से घायल हो गया जिसका वर्तमान में दिल्ली में उपचार जारी है हालत स्थिर है।

वादी बाबू सिंह पुत्र स्व0 जंगी सिंह निवासी समदनगर की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 344/2026 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 118(2), 3(5) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण रोहित बेडिया, छुट्टु बेडिया, शिवप्रताप परमार व अन्य 02 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर गठित टीम द्वारा त्वारित कार्यवाही करते हुये घटना के मुख्य आरोपी रोहित कुमार उर्फ विकास व 01 सहअभियुक्त नादिर पुत्र असलम उर्फ शमां टेलर, उम्र लगभग 27 वर्ष, को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि घायल व्यक्ति विक्की ठाकुर की आम शोहरत ठीक नही थी तथा लोगो से अनायास ही मारपीट व गाली गलौज करने का आदी था तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध जनपद महोबा सहित अन्य जनपदों में विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.2026 की रात्रि लगभग 21:30 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा विक्की ठाकुर उर्फ जयवेन्द्र सिंह पुत्र राजा बाबू सिंह उर्फ राजा सिंह, निवासी मोहल्ला समदनगर, थाना कोतवाली, जनपद महोबा के ऊपर कुल्हाड़ी एवं अन्य धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे विक्की उपरोक्त के हाथ एवं पैरों में गंभीर चोटें आई। वर्तमान में घायल का उपचार Artemis Hospital, Sector-51, Gurgaon में चल रहा है।

उक्त घटना के संबंध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 344/26 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 118(2) BNS बनाम रोहित बेड़िया उर्फ विकास, छुट्टन उर्फ राजेश बेड़िया, शिव प्रताप परमार एवं 02 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान नादिर पुत्र असलम व अभिषेक पुत्र शिवराम का नाम प्रकाश में आया, जिसके क्रम में अभियोग में धारा 3(5) BNS की वृद्धि की गई। जिसमें मुख्य आरोपी अभियुक्त रोहित कुमार व सहअभियुक्त नादिर को दिनांक 15.07.2026 को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है।

मुकदमा उपरोक्त के पीड़ित विक्की उर्फ जयवेन्द्र सिंह व रोहित के मध्य पूर्व मे मित्रता थी परन्तु लगभग एक वर्ष पूर्व अभिषेक के परिवार में हुए विवाद में हस्तक्षेप के कारण इनके मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। इसके उपरांत विक्की ठाकुर द्वारा रोहित कुमार, अभिषेक एवं नादिर के साथ गाली-गलौज, मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया जाता रहा तथा उनके परिवारजनों के साथ भी अनुचित आचरण किया जाता रहा। इसी क्रम में लगभग एक वर्ष पूर्व शिव प्रताप परमार के साथ भी विक्की ठाकुर का विवाद हुआ था, जिससे उसका सभी अभियुक्तों से लगातार विवाद बना रहा। घटना से 03-04 दिन पूर्व भी विक्की ठाकुर द्वारा रोहित कुमार के साथ मारपीट कर उसे सामाजिक रूप से अपमानित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रोहित कुमार द्वारा अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलकर योजना बनाकर उक्त घटना को अंजाम दिया गया। दोनो पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को होना नही पाया गया ।

घायल व्यक्ति जयेन्द्र उर्फ विक्की ठाकुर की आम शोहरत छवि ठीक नहीं पाई गई है। उसके संबंध में यह प्रकाश में आया है कि वह प्रायः शराब के नशे में अकारण लोगों से मारपीट करता था तथा उनसे जबरन पैसे लेकर शराब पीता था। साथ ही दिन भर इधर-उधर घूमना, समूह बनाकर बदमाशी करना एवं दबंगई दिखाना उसकी आदत में शुमार रहा है।

घायल विक्की ठाकुर के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है एवं प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

अभियुक्त शिव प्रताप परमार के विरुद्ध भी मु0अ0सं0 74/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2) BNS में नाम प्रकाश में आने के उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त प्रकरण में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।